सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 1040/सो.आ.नि.–3/464(II)/2023
दिनाँक: 24 सितम्बर, 2025

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद एवं गौमतबुद्ध नगर को छोडकर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट कराने हेतु सोशल आडिट कैलेण्डर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0 1722/सो०आ०नि०–3/464(II)/2023, दिनॉक 26–03–2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि:–*''सोशल ऑडिट में टीम को फैसिलिटेट करने के लिये ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर (बीसैक)/ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बी0आर0पी0) को ग्राम पंचायतों का आवंटन निदेशालय के पत्रांक 1151, दिनॉक 20–12–2024 में दी गयी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने पर यदि किसी महिला बीसैक द्वारा उक्त प्रक्रिया में आवंटित सोशल ऑडिट में अपरिहार्य कारणों से आने जाने में असुविधा के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो यथासम्भव उनके तैनाती के विकासखण्ड से नजदीक विकासखण्ड में लगाया जा सकता है।''*

सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त व्यवस्था में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जा रहा है–

सोशल ऑडिट में टीम को फैसिलिटेट करने के लिये ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर/ब्लॉक रिसोर्स पर्सन को ग्राम पंचायतों का आवंटन निदेशालय के पत्रांक 1151, दिनॉक 20–12–2024 में दी गयी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने पर यदि किसी महिला बीसैक/बी0आर0पी0 द्वारा उक्त प्रक्रिया में आवंटित सोशल ऑडिट में अपरिहार्य कारणों से आने जाने में असुविधा के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो यथासम्भव महिला बीसैक को उनके तैनाती के विकासखण्ड से नजदीक के विकासखण्ड एवं महिला बी0आर0पी0 को उनके निवास के विकासखण्ड को छोड़कर नजदीक के विकासखण्ड में लगाया जा सकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। शेष व्यवस्था पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,

Digitally signed by
Kamlesh Kumar
Date: 24-09-2025
14:55:19

(कमलेश कुमार)
निदेशक

पत्रांकः–1049 सो०आ०नि०–3/464(II)/23, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
2–समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ०प्र०।
3–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4–समस्त जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।

(कमलेश कुमार)
निदेशक